

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-12ए/2013

संस्थापन दिनांक-28.02.2013

संतोष पिता किसनलाल, उम्र 26 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम डोंगरिया (थुर्रेमेटा), तहसील बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

विरुद्ध

1-मानसिंह पिता कोठी, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम डोंगरिया (थुर्रेमेटा), तहसील बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-उप पंजीयक,
पंजीयन कार्यालय, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

-:/ / निर्णय / /:-

(आज दिनांक-12/12/2014 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा डोंगरिया, प.ह.न. 45, रा.नि.म. बिरसा, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 34/69, 34/74, 53/1, 53/3 रकबा क्रमशः 0.40, 0.14, 5.40, 2.00 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर स्वत्व की घोषणा, तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-27.06.2010 प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि का विक्रय करने से रोकने स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि मूल पुरुष सुक्कल एवं उसकी पत्नी दुलारीबाई फौत हो चुके हैं। मूल पुरुष स्वर्गीय सुक्कल की दो पुत्री जैवंतीबाई एवं अमरोताबाई थी, जो फौत हो चुकी हैं। जैवंतीबाई का पुत्र वादी है तथा अमरोताबाई ला-औलाद फौत हुई। विवादित भूमि मूल पुरुष सुक्कल के हक व स्वत्व की भूमि थी।

3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि मूल पुरुष सुक्कल के नाम पर राजस्व प्रलेख में दर्ज थी, सुक्कल की फौत उपरांत सुक्कल की पुत्री जैवंतीबाई की मृत्यु वर्ष 1995 में वादी के बचपन में हो गई, जिसके पश्चात् वादी का नाम दुलारीबाई एवं अमरोताबाई के साथ शामिल सरीक रूप से विवादित भूमि पर दर्ज हुआ। दुलारीबाई की मृत्यु वर्ष 2007 में होने के पश्चात् मूल पुरुष सुक्कल का पुत्र वारसान न होने से उसकी भूमि पर पुत्री अमरोताबाई और स्वर्गीय पुत्री जैवंतीबाई के पुत्र के रूप में वादी नाम वारसान के रूप में दर्ज हुआ। अमरोताबाई की मृत्यु के पश्चात् तहसीलदार बिरसा के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अवैध रूप से विवादित भूमि में वादी की जानकारी के बगैर बंटवारा हेतु दिनांक-27.06.2010 को आदेश पारित करवा लिया और राजस्व प्रलेख में नाम दर्ज करवा लिया। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अमरोताबाई की शादी हिरमू से हुई थी, किन्तु उसने अमरोताबाई का परित्याग कर दिया था, जिसके पश्चात् वह अपने पिता के पास निवासरत् थी तथा उसका प्रतिवादी क्रमांक-1 के साथ विवाह नहीं हुआ था। अमरोताबाई ला-औलाद फौत होने के कारण उसके अंश की भूमि मात्र वादी को प्राप्त होती है। प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा विवादित भूमि के राजस्व प्रलेख में अपना नाम अवैध रूप से दर्ज कराकर उसे विक्रय करने के प्रयास में है। वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा, तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-27.06.2010 प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि का विक्रय करने से रोकने स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अनुतोष की मांग की है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वीकृत तथ्य छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि अमरोताबाई का प्रथम विवाह हिरमू से हुआ था तथा उसके परित्याग के पश्चात् अमरोताबाई के पिता ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को अमरोताबाई के लिये घर जवाई लाया था और जाति-रीति-रिवाज के अनुसार पाठ विवाह कराया था। अमरोताबाई के साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 लगातार

लगभग 25 साल पति-पत्नी के रूप में सुखमय जीवन व्यतीत किया है तथा उसके फौत होने पर उसकी काज-किया भी प्रतिवादी क्रमांक-1 ने संपन्न किया। सुक्कल एवं उसकी पत्नी दुलारीबाई व पुत्री अमरोताबाई के फौत होने के उपरांत वारसान के रूप में जैवंतीबाई एवं अमरोताबाई के वारसान उसके पति प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। सुक्कल ने अपने जीवनकाल में पुत्री अमरोताबाई को 5.29 डिसमिल भूमि, मकान, हाताबाडी तथा पुत्री जैवंतीबाई को 2.65 डिसमिल भूमि हिस्से बंटवारे में दी थी। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार बिरसा द्वारा दिनांक-27.06.2010 को आदेश पारित कर बंटवारा किया गया है, जो वादी पर बंधनकारी है। वादी विवादित भूमि में 1/2 अंश पाने का हकदार नहीं है। अतएव उक्त कारण से वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 एकपक्षीय है तथा उनकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा डोंगरिया तहसील बिरसा स्थित खसरा नम्बर 34/69, 34/74, 53/1, 53/3 रकबा क्रमशः 0.162, 0.057, 2.185, 0.809 हेक्टेयर भूमि कुल रकबा 3.293 हेक्टेयर भूमि पर वादी को एकमात्र स्वत्व प्राप्त है?	प्रमाणित
2	क्या उक्त विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित
3	क्या तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-27.06.2010 अवैध होने से प्रभाव शून्य है ?	प्रमाणित
4	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—**वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

7— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसको एकमात्र स्वत्व प्राप्त है। वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का पांच साला खसरा फार्म वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-10 पेश किया गया है, जिसमें विवादित भूमि के बंटवारा उपरांत खातेदार संतोष, दुलारीबाई, मानसिंह का नाम अलग-अलग खसरा नम्बर की भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-12 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मूल पुरुष सुक्कल के नाम पर विवादित भूमि दर्ज रही है।

8— प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह ने स्वयं को अमरोताबाई का पति बताते हुये वारसान हक के आधार पर अमरोताबाई की फौत उपरांत विवादित भूमि पर अपना हक प्राप्त होने का बचाव पेश किया है। वादी ने सम्पूर्ण विवादित भूमि पर सुक्कल की पुत्री जैवन्तीबाई के पुत्र के रूप में एकमात्र वारसान होने के आधार पर स्वत्व प्राप्ति का दावा पेश किया है। वादी की प्रास्थिति को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने चुनौती नहीं दी है तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी जैवन्तीबाई का एकमात्र पुत्र है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 की प्रास्थिति को चुनौती दी है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, अमरोताबाई का पति नहीं है तथा विवादित भूमि पर उसका किसी प्रकार से हक नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 पर यह साबित करने का सर्वप्रथम भार है कि वह अमरोताबाई का पति होकर वारसान के रूप में विवादित भूमि पर हक व स्वत्व प्राप्त करता है।

9— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने अभिवचन में अमरोताबाई से उसका विवाह चुड़ी पहनाकर जाति-रीति-रिवाज के अनुसार निष्पादित होना प्रकट किया है। वादी के अभिवचन के अनुसार अमरोताबाई का विवाह हिरमू से होने के तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया है कि हिरमू द्वारा अमरोताबाई का परित्याग कर दिये जाने के बाद सुक्कल ने अपनी पुत्री अमरोताबाई के लिये प्रतिवादी क्रमांक-1 को घर जवाई के रूप में लाया था। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अमरोताबाई के प्रथम पति से बिना तलाक लिये दूसरा विवाह मात्र चुड़ी पहनाकर कर लेने के संबंध में किसी रूढ़ि या प्रथा के प्रचलन होने संबंधी तथ्य का अभिवचन नहीं किया है। यद्यपि कथित रूढ़ि व प्रथा के संबंध में अभिवचन के अभाव में वादी साक्षी स्वयं संतोष (वा.सा.1), किशनलाल (वा.सा.2) एवं धरमसिंह (वा.सा.3) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी गई है, जिसे बिना अभिवचन के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

10— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं मानसिंह (प्र.सा.1) एवं शोभा (प्र.सा.2) की साक्ष्य करायी है। प्रतिवादी क्रमांक-1 अपने अभिवचन में किसी रूढ़ि व प्रथा के प्रचलन के कथन किये बगैर, मानसिंह (प्र.सा.1) एवं शोभा (प्र.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में पक्षकारगण के कथित गोंड जाति के सदस्य होने एवं गोंडी प्रथा से शासित होने व हिन्दू विधि लागू न होने के कथन किये हैं। उक्त कथन बिना अभिवचन के किये जाने से प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है।

11— प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि उभयपक्ष आदिवासी गोंड समाज के हैं। यद्यपि उभयपक्ष पर आदिवासी गोंड समाज के अनुसार तथाकथित कोई प्रथा या रूढ़ि प्रचलन होने और उभयपक्ष हिन्दू विधि से शासित न होने के अभिवचन के अभाव में प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से प्रस्तुत कथित रूढ़ि व प्रथा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य पठनीय नहीं है। इस तथ्य को प्रमाणित मान लिया जाये कि अमरोताबाई का विवाह हिरमू से होने के पश्चात् उससे विवाह विच्छेद बिना परित्याग करने के कारण अमरोताबाई अपने पिता सुक्कल के पास आ गई, तब भी ऐसी दशा में अमरोताबाई अपने जीवनकाल में मृत्यु पर्यन्त तक हिरमू की परित्यक्ता पत्नी की हैसियत से अलग रहने का तथ्य प्रकट होता है। वास्तव में अमरोताबाई से हिरमू का विवाह विच्छेद हुये बिना द्वितीय विवाह वैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह से होने के तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने साबित नहीं किया है।

12— यदि तर्क के लिये यह मान लिया जाये कि अमरोताबाई का हिरमू ने परित्याग कर दिया था और वे कई वर्षों से अलग-अलग निवासरत् थे। उक्त परिस्थिति में पक्षकारगण गोंड आदिवासी समाज के होने से उनके मध्य विवाह विच्छेद होने की उपधारणा की जा सकती है। यदि तर्क के लिये यह भी मान लिया जाये कि अमरोताबाई और प्रतिवादी क्रमांक-1 गोंड आदिवासी समाज के होकर पति-पत्नी के रूप में लगभग 20-25 वर्ष से लगातार साथ में निवास कर रहे थे और उनके समाज में उन्हें पति-पत्नी के रूप में मान्य किया गया है, तब उक्त तथ्य से प्रतिवादी क्रमांक-1 और अमरोताबाई आपस में पति-पत्नी होने की उपधारणा की जा सकती है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह को अमरोताबाई के पति के रूप में होने की उपधारणा की जाये, तब कथित वारसान के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह को विवादित भूमि पर हक व स्वत्व प्राप्त होने के संबंध में विधिक स्थिति पर विचार किया जाना होगा।

13— उभयपक्ष ने अपने अभिवचन में हिन्दू विधि से शासित न होकर गोंड आदिवासी रूढ़ि व प्रथा से शासित होने के अभिवचन नहीं किये हैं और न ही प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उभयपक्ष हिन्दू विधि से शासित न होकर गोंड आदिवासी रूढ़ि व प्रथा से शासित होते हैं। मानसिंह (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य

परीक्षण में अभिवचन से हटकर यह भी कथन किया है कि वह तथा वादी गोंड जाति का सदस्य होने से उन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती तथा वे पीढ़ी दर पीढ़ी से गोंडी प्रथा से शासित होते चले आ रहे हैं। साक्षी के उक्त कथन अभिवचन के बिना किये गये हैं, जो पठनीय नहीं हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने बिना अभिवचन किये कथित रूप से उभयपक्ष पर हिन्दू विधि लागू न होने तथा गोंडी जाति प्रथा से शासित होने के कथन किये हैं, जो ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्ष पर हिन्दू विधि लागू होने की उपधारणा की जा सकती है।

14— हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-15 के प्रावधान अंतर्गत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम के अंतर्गत निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की संपत्ति में धारा-16 में दिये गये नियमों के अनुसार न्यागत् होगी। अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत निर्वसीयती मरने वाली हिन्दू नारी ने माता-पिता, पति या ससुर से विरासत पर संपत्ति प्राप्त न की हो और अन्य स्रोत एवं माध्यम से प्राप्त की हो तो संपत्ति उपधारा 1(क) में वर्णित वारिसों को एवं क्रम में उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-15 की उपधारा 2 के अंतर्गत कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री, के अभाव में उसके पिता के वारिसों को न्यागत् होगी। इस प्रकार हिन्दू नारी ने कोई संपत्ति विरासत में अपने माता या पिता से प्राप्त की हो, तो ऐसी हिन्दू नारी के निर्वसीयत एवं निःसंतान फौत होने की दशा में उसकी संपत्ति वापस उसके पिता के वारिसों को प्राप्त होगी न कि पति को प्राप्त होगी।

15— उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में इस मामले में प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थिति से यह प्रकट है कि मूल पुरुष सुक्कल की फौत उपरांत उसके जीवित वारसान के रूप में उसकी विधवा दुलारीबाई एवं दो पुत्रियाँ जैवतीबाई व अमरोताबाई को वारसान हक में विवादित भूमि प्राप्त हुई, पश्चातवर्ती दशा में क्रमशः सुक्कल की विधवा दुलारीबाई, सुक्कल की पुत्री जैवतीबाई व सुक्कल की दूसरी पुत्री अमरोताबाई फौत हो गई। ऐसी दशा में विवादित संपत्ति को जैवतीबाई एवं अमरोताबाई ने वारसान हक में पिता सुक्कल से प्राप्त किया, तब उनकी निर्वसीयती मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि सुक्कल के वारसान को न्यागत् होगी। चूंकि विवादित भूमि अमरोताबाई ने अपने पिता से प्राप्त की और वह ला-औलाद फौत हो गई, जिस कारण उक्त विधिक स्थिति में अमरोताबाई को प्राप्त संपत्ति वारसान हक में प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह को प्राप्त नहीं हो सकती है, बल्कि विवादित संपत्ति वापस अमरोताबाई के पिता सुक्कल व उसकी फौत की दशा में उसके वारसान को प्राप्त होती है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पुरुष स्वर्गीय सुक्कल की पुत्री जैवतीबाई का पुत्र वादी संतोष स्वर्गीय सुक्कल का

एकमात्र जीवित वारसान होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में विवादित भूमि पर वारसान हक के आधार पर एकमात्र वादी को स्वत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-1 वादी के पक्ष में 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

17— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किया जा रहा है। उक्त तथ्य के संबंध में वादी की ओर से ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि का विक्रय करने के लिये किसी व्यक्ति से सौदा कर लिया है या विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि पर बिना हक व स्वत्व के अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लेने से इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किया जावेगा। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किया जा सकता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-2 वादी के पक्ष में 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

18— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक-68अ-27/2009-10 में पारित आदेश दिनांक-27.06.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 पेश किया है, जिसके अनुसार विवादित भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के मध्य बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि वादी ने अपने अभिवचन में उक्त बंटवारा आदेश दिनांक-27.06.2010 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। उक्त तकनीकी त्रुटि को वादी ने अपने अभिवचन में दूर किये जाने हेतु संशोधन नहीं किया है। ऐसी दशा में बंटवारा आदेश दिनांक-27.06.2010 के संबंध में वादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। यद्यपि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी ने तहसीलदार बिरसा के आदेश दिनांक-27.06.2009 के संबंध में अनुतोष की मांग की है। चूंकि प्रतिवादी क्रमांक-1 मानसिंह ने बिना हक व अधिकार के बंटवारा अपने पक्ष में करवाकर विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने बिना किसी विधिक अधिकार के उसके पक्ष में विवादित भूमि का कथित बंटवारा कराकर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया है, जो अवैध होकर

प्रभावशून्य है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-3 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

19— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :-

(1) मौजा डांगरिया तहसील बिरसा स्थित खसरा नम्बर 34/69, 34/74, 53/1, 53/3 रकबा क्रमशः 0.162, 0.057, 2.185, 0.809 हेक्टेयर भूमि कुल रकबा 3.293 हेक्टेयर भूमि पर वादी को एकमात्र स्वत्व प्राप्त है।

(2) उक्त विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार बिरसा के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में किया गया पारित बंटवारा आदेश प्रभावशून्य घोषित किया जाता है।

(3) प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, वह विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से अंतरण न करे।

(4) प्रतिवादी क्रमांक-1 अपने साथ-साथ वादी का भी वादव्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञा तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर